

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी (म0प्र0)


// आदेश //

कमांक 441 / दो-06-05 / 23

सीधी दिनांक 02 / 07 / 2024

श्री दीपक कुमार अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मझौली को दिनांक 01.07.2024 से दिनांक 08.07.2024 तक कुल 08 दिवस का अर्जित अवकाश पूर्ववर्ती दिनांक 30.06.2024 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने तथा दिनांक 29.06.2024 के न्यायालय समय पश्चात से दिनांक 09.07.2024 के न्यायालयीन समय पूर्व तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के साथ स्वीकृत किया जाता है।

- अवकाश अवधि में इनका पद रिक्त रहेगा।
- प्रमाणित किया जाता है कि अवकाश में उन्हें वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के ठीक पूर्व मिलता रहा।
- प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल उपरोक्तानुसार अवकाश पर प्रस्थान नहीं होते तो अपने पद पर पदस्थ रहते।
- इनके अर्जित अवकाश लेखा में 197 दिवस का स्वत्व शेष रहेगा।



(संजय पाण्डेय)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)

सीधी दिनांक 02 / 07 / 2024

2073
पृ.कमांक / दो-06-05 / 23
प्रतिलिपि:-

- श्री दीपक कुमार अग्रवाल, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड मझौली,
- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट सीधी की ओर इस लेख के साथ प्रेषित है कि न्यायिक जिला स्थापना सीधी की बेवसाईट पर आदेश की प्रति अपलोड करें।
- लेखापाल/ऑफिस मोहररि कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीधी, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीधी (म.प्र.)